शिविर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गावो के संग अभियान–2021 कम्प

सिणली जागीर प.स. बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह मीना, आर.ए.एस. (उप महानिरीक्षक,पंजीयन एव मुद्रांक वृत बाड़मेर)

राजस्व आवेदन न0 SS- 31 /PGKS-2021

प्रार्थी :-- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा (भूमिधारक)

वनाम

विप्रार्थीगण :-- 1. **सरपंच ग्राम पंचायत सीणली जागीर**

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम **कतवारी** मे एक ग्रेवल सड़क/डामर सड़क / बारहमासी मार्ग **मौकोनो की ढाणी से कितपाला सरहद तक** ग्रेवल सड़क/डामर सड़क/बारहमासी रास्ते को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिषिष्ठ अ मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी संरपच ग्राम पंचायत सिणली जागीर को सुना गया उनके द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रमांक ग्रापसा/2021/227 दिनांक 10.12.2021 का अवलोकन किया गया। संरपच सिणली जागीर ने अनापत्ति प्रमाण पत्र में सिणली जागीर के राजस्व गाव सिणली चौसीरा के खसरा नम्बर 418/260 व 423/261 में **मौकोनो की ढाणी से कितपाला सरहद तक** चल रहे आम रास्ता जो राजस्व नक्शे मे रास्ते के रूप मे तरमीम शुदा होकर दर्ज है को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है तो ग्राम पंचायत सिणली जागीर को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन ए[illegible] स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पा[illegible] दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भू[illegible] ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे [illegible] मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथ[illegible]म पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है।

शिविर प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:26:50 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] ग्राम पंचायत सिणली जागीर का [illegible] पंचायत सिणली जागीर [illegible] 2074–[illegible] [illegible] मौकोना की ढाणी से कितपाला सरहद कतवारी [illegible] का अवलोकन किया [illegible] तक [illegible] प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार तहसीलदार [illegible] पत्रावली पर नहीं है।

अतः निरीक्षण के आधार पर तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम कतवारी मे एक ग्रेवल सड़क/डामर सड़क / बारहमासी मार्ग ग्रेवल सड़क/डामर सड़क/बारहमासी रास्ते को संबंधित खातेदारों की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट–अ मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को विप्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत सिणली जागीर अनुसार रास्ते के लिए [illegible] हेतु स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम ग्राम सिणली चौसीरा मे एक ग्रेवल सड़क/डामर सड़क / बारहमासी मार्ग **मौकोनो की ढाणी से कितपाला सरहद तक** ग्रेवल सड़क/डामर सड़क/बारहमासी रास्ते को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए नक्शे व मौके पर चल रहे परिशिष्ट–अ मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड मे अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरनीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट–ब आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

(सुरेन्द्र सिंह मीना, RAS)
शिविर प्रभारी,अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
(उप महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक वृत बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 10.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प सिणली जागीर मे मजमे आम मे सुनाया गया।

10/12/2021

(सुरेन्द्र सिंह मीना, RAS)
शिविर प्रभारी,अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
(उप महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक वृत बाड़मेर)

10.12.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:26:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / प्र.गा.क.स / 2021 / 489

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर।
2. उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा।
3. तहसीलदार पचपदरा।

10/12/2021

शिविर प्रभारी,अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021